राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.1(1)वित्त/राजस्व/2020 जयपुर, दिनांक–12.12.2025

आदेश

राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आज्ञा दिनांक 16.11.2025 के क्रम में यह ध्यान में आया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा आज्ञा की पालना में आदिनांक तक नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। इन अधिकारियों द्वारा सक्षम स्तर से जारी आदेश की पालना नहीं किया जाना राज्यादेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि अत्यन्त गंभीर है।

अतः समस्त स्थानान्तरित अधिकारियों को एतदद्वारा उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अविलम्ब अनुपालना करते हुये दिनांक 15.12.2025 पूर्वाह्न तक नवपदस्थापन पद पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण प्रतिवेदन जरिये ई–मेल jsfrevenue@rajasthan.gov.in प्रेषित करें।

इसे अत्यावश्यक समझते हुये राज्यादेशों की पालना सुनिश्चित की जाए अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

12-12-25

(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री, वित्त महोदया।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनका आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाए।
6. संबधित अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

12-12-25

संयुक्त शासन सचिव